

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री बृजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सुरेश चन्द शर्मा, अम्बेडकर कॉलोनी गली नं० 8, पुरानी शिववाडी रोड महिला आई0टी0आई0 कॉलेज के पीछे, बीकानेर (राज०)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार महवा जिला दौसा

अपील सं० 22/2019

निर्णय

दिनांक : 01.07.2019

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांत द्वारा तहसीलदार तहसील महवा, जिला दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। तहसीलदार तहसील महवा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मँगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार महवा से संबंधित है। किंतु आवेदक को वांछित सूचना प्राप्त नहीं होने पर उनके द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर तहसीलदार महवा को इस कार्यालय के पत्रांक: डीएम/कोर्ट/2019/970 दिनांक 03.06.2019 व डीएम/कोर्ट/2019/1103 दिनांक 24.06.2019 द्वारा पत्र जारी कर प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट चाही गई। किंतु तहसीलदार महवा की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना/नकल उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना संबंधित व्यक्ति को 30 दिवस की समयावधि में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है। तहसीलदार महवा को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलांत को वांछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(अविचल चतुर्वेदी)

जिला कलेक्टर, दौसा

